आपत्ति निस्तारण

दिनॉक 02.12.2011 के पूर्व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद पर नियुक्त कार्मिको को ज्येष्ठ मानते हुए समसंख्यक आदेश दिनॉक 16.12.2015 द्वारा दिनॉक 15.12.2015 की स्थिति के अनुसार रेडियो उपनिरीक्षक पद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पुनः प्रकाशित करते हुए सर्वसम्बन्धित से 07 दिवस के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी।

उपरोक्त सम्बन्ध में दिनॉक 16.12.2015 को जारी की गयी रेडियो उपनिरीक्षक पद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर दिनॉक 06.01.2016 तक कुल 42 आपत्तियॉ प्राप्त हुई जिन पर नियमानुसार कार्यवाही एवं निस्तारण का विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	नाम	वर्तमान नियुक्त	आपत्तियॉ	निस्तारण
1	मो0जफर खान	RHQ	1. वर्ष 2004 एवं 2005 में रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के 47 पदों की सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त पदों की भर्ती, वर्ष 1997 में रिक्त 38 पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में कुल 47 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है तथा जिन आवेदकों ने वर्ष 1997 में उक्त हेतु आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। 2. दि0 02.12.11 से पूर्व विभाग में प्रचलित उ0प्र0पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा निमयावली–1982 के नियम 22(4) एवं उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के उपनियम 8(3) 2 में यह प्राविधान है कि "जहॉ किसी श्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से कम हो और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियॉ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाय, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेगें, जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेगें"। तद्नुसार रे0अनु0अधि0 के 38 पदों का रिक्ति वर्ष 1997 होने के कारण ज्येष्ठता रिक्ति वर्ष के सापेक्ष निर्धारित की जानी चाहिए। तत्संदर्भ में पूर्व प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर प्रेषित अपत्ति का निराकरण न होने के कारण मा0उच्च न्यायालय लखनऊ में वाद संख्या 5905/2015 योजित है। इस सम्बन्ध में दावे की पुष्टि हेतु निम्न प्रकरण का उद्धरित किया गया है– (I) वर्ष 1993–94 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए रेडियो अनुरक्षण अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में रेडियो केन्द्र अधिकारी के पद से पदोन्नत हुए रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को उनकी रिक्ति वर्ष 1991–92	1. किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। 2. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम 8(3) के उपबन्ध 2 पर वर्णित व्यवस्था किसी श्रोत से की गयी नियुक्तियों में कोटे से कम नियुक्तियों के सम्बन्ध में है न कि पूर्ववर्ती अन्तिम चयन के पश्चात उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में है। यद्यपि सम्बन्धित कर्मी उक्त नियम से आच्छादित नही है तथापि उल्लेखनीय है कि उक्त नियम में स्वतः स्पष्ट है कि किसी श्रोत से विहित कोटे से कम हुई नियुक्तियों के सापेक्ष अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी। जिस चयन वर्ष में उनकी नियुक्ति होगी उक्त चयन वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेगें।
2	स्वतन्त्र गिरि	RHQ		
3	अवनीश कुमार सिंह	MDD		
4	राजीव कुमार वर्मा	RHQ		
5	दीप्ति कुशवाहा	KSJ		
6	देवेन्द्र कुमार शर्मा	HPR		
7	भावना श्रीवास्तव	KNC		
8	अलका बाजपेई	KNC		

कॉपी 816

			के सापेक्ष ज्येष्ठता प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम –8(3)दो, के अनुसार सूची में EN-BLOCK शीर्ष पर रखा गया है। (II) सहायक रेडियो अधिकारी से अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर 1995–96 में हुई पदोन्नति में तत्समय के सहायक रेडियो अधिकारी से श्री सुनील कुमार शुक्ल को रिक्ति वर्ष 1990–91 के सापेक्ष ज्येष्ठता प्रदान की गयी एवं सहायक रेडियो अधिकारी श्री आर0के0 द्विवेदी, श्री आर0एन0एस0यादव, श्री अखिलेश चन्द्र सक्सेना इत्यादि को रिक्ति वर्ष 1991–92 की ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।	
			3. कतिपय कारणो से वर्ष 1997 से 2006 तक रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद पर कोई सीधी भर्ती नही हुई अपितु समस्त नियुक्तियां मात्र पदोन्नति द्वारा ही वर्ष 2000, 2001 व 2003 में की गयी। सीधी भर्तियों का कोटा एवं रिक्ति वर्ष अप्रभावित रहने के कारण तत्सामयिक रेडियो नियमावली के अनुरुप रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती यथा– सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के विहित प्रतिशत बने रहने के नियम का उल्लंघन है, जो नियमानुसार न्यायोचित नही है।	3. इस बिन्दु पर उल्लिखित आपत्ति का निस्तारण बिन्दु संख्या–2 में समाहित है।
			4. शा0सं01311/6–पु–1–11–1300 (23)/2000 दि0 02.12.11 में रेडियो केन्द्र अधिकारी व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदो के संविलीनकरण के अन्तर्गत ज्येष्ठता निर्धारित करने का कोई प्राविधान नहीं है, ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली–2015 में उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारण किया जाय।	4. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता का निर्धारण उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली – 1991 में निहित व्यवस्थानुसार ही किया गया है।
			5. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष, भर्ती का श्रोत का उल्लेख कार्मिक के नाम के सम्मुख नहीं किया गया है जबकि यह विवरण वरिष्ठता सूची का वॉछनीय विवरण होता है।	5. यद्यपि उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में ज्येष्ठता सूची हेतु कोई निधारित प्रारुप की व्यवस्था विद्यमान नही है तथापि निर्गत की जा रही अंतिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक, कर्मी का नाम, पिता का नाम, पीएनओ, जन्मतिथि के साथ–साथ दिनॉक 02.12.2011 को धारित पद (रे0 अनु0अधि0/रे0के0अधि0),नियुक्ति का श्रोत एवं धारित पद पर नियुक्ति की तिथि अंकित कर दी गयी है।
9	जयपाल सिंह	FRZ	1. दिसम्बर, 1995 से रेडियो केन्द्र अधिकारी (रेडियो उपनिरीक्षक) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के बावजूद अनन्तिम वरिष्ठता सूची में वर्ष 2006 में नियुक्त हुए	1. शा0सं01311/6–पु–1–11–1300(23)/2000 दि0 02.12.11 द्वारा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी पदो

			समस्त रेडियो उपनिरीक्षकों को सूची में आगे दर्शाये जाने विषयक।	को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक पद बनाया गया है। तद्दिनॉक से पूर्व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी का पद रेडियो केन्द्र अधिकारी से ज्येष्ठ एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी से प्रोन्नत का पद था। अस्तु उक्त तिथि से पूर्व नियुक्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को रेडियो केन्द्र अधिकारियों से ऊपर रखा गया है।
10	नीरज कुमार	JSI	1. वर्ष 1995 बैच 32 के कुछ अधिकारियों को वर्ष 2000 से रिक्त पदो के सापेक्ष जून 2003 तक आर0एस0ओ0 से आर0एम0ओ0 पद पर पदोन्नति के पश्चात तत्चयन वर्ष से चयन वर्ष 2008 तक की रिक्तियों के सापेक्ष आर0एम0ओ0 पद पदोन्नति दिनॉक 23.12.08 को 32 बैच के शेष सभी आर0एस0ओ0 को पदोन्नति प्रदान कर दी गयी। तद्नसुार वर्ष 2003 से जून 2006 के मध्य रिक्त आर0एम0ओ0 की वरिष्ठता दिसम्बर, 2008 के स्थान पर वर्ष 2003 से 2006 में निर्धारित करने विषयक। 2. शा0सं0: 1311/6–पु–1–11–1300 (23)/2000 दि0 02.12.11 के बिन्दु क्रमांक तीन पर उल्लिखित नियम के अनुसार आर0एस0 ओ0 तथा आर0एम0ओ0 के पदों को संविलीन करके रेडियो उपनिरीक्षक पद नाम किया है। शा0सं0:वे0आ0–2–773/दस– 62 (एम)/2008 दिनांक 05.11.2014 के बिन्दु क्रमांक–6 पर उल्लिखित "किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गई सेवाओं को जोडकर उच्चीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा अर्थात् आर0एस0आई0 (आर0 एस0ओ0) व आर0एस0आई0 (आर0एम0ओ0) पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के सभी अधिकारी कनिष्ठ होगें। 3. अराजपत्रित पदों पर नियुक्त कर्मियों के सेवा विनियमन हेतु उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली–2015 के प्रख्यापन के फलस्वरूप रेडियो केन्द्र अधिकारी पद को आधार मानते हुए प्रार्थी की भर्ती वर्ष 1995 में नियुक्त होने के कारण रेडियो उपनिरीक्षक पद पर ज्येष्ठता क्रमांक–56 से 88 तक के सेवा में बाद में आये रेडियो उपनिरीक्षको को ऊपर रखे जाने विषयक।	1. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के भाग–तीन के बिन्दु–2 "ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त" शीर्षक के बिन्दु संख्या –18 पर निहित व्यवस्थानुसार किसी संवर्ग में आये बिना पूर्वगामी तिथि से ज्येष्ठता प्रदान नही की जा सकती। 2. शासनादेश दिनॉक 05.11.14 ए0सी0पी0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। उसमें प्रदत्त व्यवस्था का सम्बन्ध ज्येष्ठता निर्धारण से नही है। 3. शा0सं01311/6–पु–1–11–1300(23)/2000 दि0 02.12.11 द्वारा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी पदो को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक पद बनाया गया है। तद्दिनॉक से पूर्व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी का पद रेडियो केन्द्र अधिकारी से ज्येष्ठ एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी से
11	राजीव कुमार	RHQ		
12	शिव नरायण	RHQ		
13	शैलेन्द्र कुमार	LTP		
14	वीरेन्द्र कुमार	KNC		

				प्रोन्नत का पद था। अस्तु उक्त तिथि से पूर्व नियुक्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को रेडियो केन्द्र अधिकारियों से ऊपर रखा गया है।
			4. प्रधान परिचालक संवर्ग की लिस्ट की तरह विगत वर्षो के रिक्त पदों पर समायोजित कर आर0एस0आई की दि0 21.11.15 को निर्धारित ज्येष्ठता सूची के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करने पर ज्येष्ठता क्रमांक परिवर्तित होने विषयक।	4. मा0उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 7383(एस/एस)/2012 ओमकार सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य एवं उसके साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्याः3156(एस/एस)/2003 सुनील कुमार यादव व अन्य में मा0न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 06.09.14 के अनुपालनार्थ गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के शा0सं0:डब्लू–14/6–पु–1–15–500(2)/2015दिनॉक 26.02.2015 में प्रदत्त निर्देशो के आलोक में कार्यवाही सम्पादित की गयी है। जिसका सम्बन्ध इस प्रकरण से नही है।
15	जितेन्द्र सिंह	RBI	1. उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली–2015 में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि उक्त नियमावली पश्चगामी प्रभाव के साथ लागू होगी। 2. वर्ष 1995 में भर्ती के समय रेडियो केन्द्र अधिकारी एवं रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता, भर्ती के नियम व अर्हतायें, वेतन व वर्दी समान होने एवं लगभग 11 वर्ष पूर्व से सेवा में रहने के बावजूद वर्ष 2006 में नियुक्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद के कार्मिको को वरिष्ठ मानते हुए ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठ रखे जाने विषयक। 3. दिनांक 01.11.2015 एवं 16.12.2015 को जारी की गयी रेडियो उपनिरीक्षक पद की अनन्तिम वरिष्ठता क्रमांक में परिवर्तन कर तैयार की गयी दोनो विरोधाभाषी सूचियॉ तैयार करने का आधार विषयक।	1. किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। 2. शा0सं01311/6–पु–1–11–1300(23)/2000 दि0 02.12.11 द्वारा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी पदो को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक पद बनाया गया है। तद्‌दिनॉक से पूर्व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी का पद रेडियो केन्द्र अधिकारी से ज्येष्ठ एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी से प्रोन्नत का पद था। अस्तु उक्त तिथि से पूर्व नियुक्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को रेडियो केन्द्र अधिकारियों से ऊपर रखा गया है। 3. शासनादेश दिनॉक 02.12.11 द्वारा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी पद को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक पद बन जाने के उपरान्त रेडियो केन्द्र अधिकारी पद को आधार मानते हुए रेडियो उपनिरीक्षक पद की दिनॉक 01.11.15 को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। तत्संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर गहनतापूर्वक विचार–विमर्श यह निर्णय लिया
16	संजय प्रकाश	9 BN PAC MDD		
17	शुभ कुमार	MRT		
18	प्रदीप धीमन	MRT		
19	विजय गोपाल	MRT		
20	रवि मथुरिया	GBN		
21	राम अवतार सिंह	AGA		
22	संजय कुमार	AGA		
23	लोकेन्द्र सिंह यादव	GBN		
24	नाहर सिंह	GZB		
25	सुनील दत्त	EWH		

				गया कि रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद के दिनॉक 02.12.11 से पूर्व ज्येष्ठ होने के कारण तद्दिनॉक से पूर्व उक्त पद पर नियुक्त कार्मिको को रेडियो केन्द्र अधिकारी पद पर नियुक्त कार्मिको से कनिष्ठ नही रखा जा सकता। अस्तु दिनॉक 02.12.11 को रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद पर नियुक्त कार्मिको को ज्येष्ठ मानते हुए पुनः दिनॉक 16.12.15 को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है।
			4. नागरिक पुलिस में उपनिरीक्षकों में से थानाध्यक्ष या शाखा प्रभारी बनाये जाने के बावजूद उनका पद समान होता है। तदनुसार ही विभाग में रेडियो केन्द्र अधिकारी/रेडियो अनुरक्षण अधिकारी समान पद थे, अस्तु 1995 से सेवारत कर्मियो को वर्ष 2006 में सेवा में आये कर्मियों से ज्येष्ठ रखे जाने का अनुरोध।	4. नागरिक पुलिस एवं पुलिस रेडियो विभाग की नियमावली एक समान न होने के कारण इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नही है।
			5. शा0सं02431/6–पु–1–15–43/2014 दि0 30.10.15 द्वारा आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी नागरिक पुलिस को एक ही संवर्ग में व्यवहृत करते हुए जारी ज्येष्ठता सूची का संदर्भ ग्रहण कर ज्येष्ठता सूची में नाम कर्मचारी, मूल पद का नाम, मूल पद पर भर्ती की तिथि, प्रधान परिचालक पद पर पदोन्नति की तिथि रेडियो केन्द्र अधिकारी पद पर पदोन्नति की तिथि दर्शाये बिना ज्येष्ठता क्रमांक परिवर्तित करने विषयक।	5. यद्यपि उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में ज्येष्ठता सूची हेतु कोई निर्धारित प्रारुप की व्यवस्था विद्यमान नही है तथापि निर्गत की जा रही अंतिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक, कर्मी का नाम, पिता का नाम, पीएनओ, जन्मतिथि के साथ–साथ दिनॉक 02.12.2011 को धारित पद (रे0 अनु0अधि0/रे0के0अधि0),नियुक्ति का श्रोत एवं धारित पद पर नियुक्ति की तिथि अंकित कर दी गयी है।
26	इसरार हुसैन	RPR	1. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि 15.11.1968 के स्थान पर दि0 15.10.1968 अंकित होने विषयक।	1. चरित्र पंजिका में अंकित सेवा विवरण के अनुसार जन्मतिथि संशोधित कर दी गयी है।
27	गणेश प्रसाद चौरसिया	RHQ	1. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि 17.04.1968 के स्थान पर दि0 17.06.1968 अंकित होने विषयक।	
28	आनन्द यादव	RHQ	1 रेडियो उपनिरीक्षक सुनील कान्त पाठक एवं धीरज कुमार से 02–03 साल पहले भर्ती होने के बावजूद अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे नीचे रखे जाने विषयक।	1. रेडियो उपनिरीक्षक सुनील कान्त पाठक एवं धीरज कुमार दिनॉक 02.12.11 से पूर्व रेडियो उपनिरीक्षक पद पर मृतक आश्रित के रुप में सेवायोजित हो चुके थे जबकि आपत्तिकर्ता मृतक आश्रित के रुप रेडियो केन्द्र अधिकारी पद पर सेवायोजित हुए है। रेडियो उपनिरीक्षक पद की ज्येष्ठता सूची दिनॉक 02.12.11 से पूर्व नियुक्त रेडियो अनुरक्षण
29	सुधीर कुमार गौतम	RHQ		

				अधिकारियों को ज्येष्ठ मानते हुए तैयार की गयी है। तद्नुसार श्री सुनील कान्त पाठक एवं श्री धीरज कुमार को ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।
30	कौशल किशोर	RHQ	1– पूर्व जारी प्रधान परिचालक की ज्येष्ठता सूची में अंकितं पदोन्नति की तिथि एवं संशोधित पदोन्नति की तिथि की भाँति रेडियो उपनिरीक्षक पद की जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त दोनो तिथियों का उल्लेख न होने विषयक।	1. मा0उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 7383(एस/एस)/2012 ओमकार सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य एवं उसके साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या:3156(एस/एस)/2003 सुनील कुमार यादव व अन्य में मा0न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 06.09.2014 के अनुपालनार्थ गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के शा0सं0:डब्लू–14/6–पु–1–15–500(2)/2015 दि0 26.02.2015 में प्रदत्त निर्देशो के आलोक में कार्यवाही सम्पादित की गयी है। जिसका सम्बन्ध इस प्रकरण से नही है।
31	लाल बहादुर सिंह	RHQ		
32	जगप्रसाद विश्वकर्मा	RHQ		
33	गोपाल कृश्ण मिश्रा	RHQ		
34	गजराज प्रसाद	RHQ		
35	तेज बहादुर सिंह	RHQ		
36	एस0एन0जी0शर्मा	RHQ		
37	रघुराज सिंह यादव	JSI		
38	अशोक कुमार सिंह	RHQ		
39	सै0नईम अहमद कर्रार	LKW		
			2–दि0 16.12.2015 को रेडियो उपनिरीक्षक पद की जारी अनन्तिम वरिष्ठता में सीधी भर्ती के रेडियो उपनिरीक्षक का नाम लगातार अंकित किया गया है तथा पदोन्नति प्राप्त रेडियो उपनिरीक्षकों का नाम उक्त नामों के बाद लगातार अंकित है जबकि नियमानुसार 1:3 होना चाहिए।	2. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में एक ही चयन वर्ष में दोनो श्रोतो(सीधी भर्ती एवं पदोन्नति) से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता सम्बन्धित नियमावली में विहित कोटानुसार चक्रानुक्रम में रखे जाने की व्यवस्था विद्यमान है। अलग–अलग चयन वर्षो में नियुक्त कार्मिक इस व्यवस्था से आच्छादित नही होते है।
			3– पोषक संवर्ग में कनिष्ठ सवंर्गीय आरक्षित श्रेणी के कर्मियों का नाम संशोधित वरिष्ठता सूची दिनॉक 16.12.2015 में भी ऊपर अंकित होने विषयक।	3. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में निहित व्यवस्थानुसार पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ सेवक की पदोन्नति से पूर्व उससे कनिष्ठ सेवक को पदोन्नति कर दिया गया हो तो ज्येष्ठ सेवक पदोन्नति होने पर पुनः वही ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी। किन्तु उक्त शासनादेश में ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त शीर्षक के बिन्दु सं0 18 पर निहित व्यवस्था नुसार सीधी भर्ती के कार्मिक के नियुक्त हो जाने पर उसके पश्चात प्रोन्नत कार्मिक उससे वरिष्ठ नही किया जा सकता।
			4– वरिष्ठता सूची उ0प्र0राज्य कर्मियो की वरिष्ठता निर्धारण–1991 एवं संशोधित प्रारुप मई 2012 की व्यवस्था के अनुरुप मौलिक एकल ज्येष्ठतानुसार तैयार न किये जाने	4. ज्येष्ठता सूची उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में निहित व्यवस्थानुसार ही तैयार की गयी है।

			विषयक। 5– दिनॉक 01.01.1996 से रेडियो केन्द्र अधिकारी एवं रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद का वेतनमान एक समान 5500–175–9000 हो जाने, दोनो पदो की सेवायें जोड़कर ए0सी0पी0 का लाभ लेने व दोनो पदो को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक नामक नया पद बन जाने के उपरान्त दि0 01.01.1996 के पश्चात सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त दोनो पदो के कार्मिको का कोटा–रोटा नियम के अनुसार 1:3 के अनुपात में ज्येष्ठता प्रदान न करने विषयक। 6– आरक्षित श्रेणी के कर्मियो के पदावनत के पश्चात रेडियो केन्द्र अधिकारी पद पर प्रोन्नति की संशोधित तिथि 2008 या उससे पहले होने के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान करने विषयक।	5. वेतन एवं ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशो का सम्बन्ध किसी पद की ज्येष्ठता से नही होता है। 6. आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत कर्मियो के पदावनत सम्बन्धी कार्यवाही, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन के शा0 सं0: 8/4/1/2002टीसी–1–का–2 /2015 दि0 21.08.15 में निहित व्यवस्थानुसार की गयी है। तदनुसार ज्येष्ठता सूची सही है।
40	सुन्दर लाल अहिरवार	RHQ	1–अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कर्मी के नाम के साथ भर्ती का दिनांक, पदोन्नति का दिनांक न दर्शाकर पिता का नाम, पी0एन0 ओ0 एवं जन्मतिथि दर्शाये जाने विषयक। 2–दिनांक 21.11.2015 को जारी सूची में ज्येष्ठताक्रम में बाद के कर्मी व बाद में सेवा में आये कर्मी वर्तमान ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठ कर दिये जाने से ज्येष्ठता निर्धारण का आधार(सेवा में आने की तिथि अथवा पदोन्नति की तिथि) स्पष्ट न होने विषयक।	1.2 – यद्यपि उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 में ज्येष्ठता सूची हेतु कोई निर्धारित प्रारुप की व्यवस्था विद्यमान नही है तथापि निर्गत की जा रही अंतिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक, कर्मी का नाम, पिता का नाम, पीएनओ, जन्मतिथि के साथ–साथ दिनॉक 02.12.2011 को धारित पद (रे0 अनु0अधि0/रे0के0अधि0),नियुक्ति का श्रोत एवं धारित पद पर नियुक्ति की तिथि अंकित कर दी गयी है।
41	स्वदेश कुमार	AUR	1. जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम AJENT SINGH के स्थान पर AGENT SINGH अंकित होने विषयक।	1. वैयक्ति पत्रावली में अवस्थित अभिलेखानुसार पिता का नाम संशोधित कर दिया गया है।
42	राम विलास	FHR	1. जारी की गयी अनन्तिम सूची में कनिष्ठ रेडियो उपनिरीक्षक बलवीर सिंह एवं अमृत लाल के वेतन के बराबर किये जाने विषयक।	1. संदर्भित प्रकरण का सम्बन्धी ज्येष्ठता से न होने के कारण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।

संख्या: पी–174/2011
दिनॉक: जनवरी 08 ,2016

(हस्ताक्षर)

उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय,
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।